न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)
पीठासीन अधिकारी कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 91 / 2022 दायरा दिनांक 11.07.2022

GCMS CASE NO-2021/91

लीलूराम पुत्र पीरूदान जाति मेघवाल निवासी गांव रंगमहल तहसील सूरतगढ़
——निगरानीकर्ता

बनाम

1. सचिव / सरपंच, ग्राम पंचायत रंगमहल पंचायत समिति सूरतगढ़
2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय वर्तमान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जरिए प्राधानाचार्य रंगमहल, पंचायत समिति सूरतगढ़

——गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 (3) पंचायती राज अधिनियम

उपस्थितः—
1. श्री ताराचन्द कडवा,अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2

—:: निर्णय ::— दिनांक : 22 .10.2024

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता गांव रंगमहल तहसील सूरतगढ़ में स्थित एक रिहायशी भूखण्ड साईज 275×220 वर्गफुट में जन्म से निवास करता आ रहा हैं, जिस पर अपने व अपने परिवार की रिहायश हेतु 4—5 कच्चे कमरो का निर्माण कर रखा है तथा शेष जगह की तारबंदी कर अपना घरेलु सामान, अपने दुधारू पशु पालन रखे है तथा उनकी रूड़ी, गोबर आदि डाल रखी है। निगरानीकर्ता का परिवार वर्ष 1966 के पूर्व से लगातार शांति पूर्वक निवास करता आ रहा है तथा ग्राम पंचायत रंगमहल की वोटरलिस्ट वर्ष—1980 में प्रार्थी के पिता का नाम क्रम सं'—321 पर दर्ज है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा प्रार्थी बीपीएल श्रेणी का सदस्य है तथा प्रार्थी का नरेगा के तहत जॉबकार्ड बना हुआ है। प्रार्थी के पिता का देहांत दिनांक 15.07.1986 को रंगमहल मे हुआ है। निगरानीकर्ता के पिता ने अपने जीवनकाल मे तथा उनके देहांत के बाद निगरानीकर्ता ने पुराने कब्जे के आधार पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत—रंगमहल से उक्त अपने कब्जाशुदा रिहायशी भूखण्ड का निर्धारित शुल्क अदा कर पट्टा अपने नाम से बनवाने बाबत कई बार निवेदन किया तो ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को हर बार यही आश्वासन दिया गया कि सरकार के आदेशानुसार जब भी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किऐ जावेगें तो प्रार्थी के उक्त कब्जाशुदा रिहायशी भूखण्ड का उसके कब्जे के आधार पर निर्धारित शुल्क जमा करवा कर उसके नाम से पट्टा जारी कर दिया जावेगा। जिस पर आश्वारत होकर निगरानीकर्ता लगातार निवास करता आ रहा है। दिनांक 09.03.2022 को मौका पर कुछ व्यक्ति आऐ तथा प्रार्थी के रिहायशी भूखण्ड की जगह को नापने लगे जिस पर प्रार्थी ने उनसे पूछताछ की तो उन्होने बताया कि वह प्राथमिक विद्यालय रंगमहल से आऐ है तथा उक्त जगह का पट्टा ग्राम पंचायत रंगमहल ने प्राथमिक विद्यालय रंगमहल के नाम से जारी कर दिया है इसलिए निगरानीकर्ता को उक्त भूखण्ड़ खाली करना पडेगा। इस पर ग्राम पंचायत से पता करने पर मालूम हुआ कि जैर निगरानी भूखण्ड़ का पट्टा गैरनिगरानीकर्ता सं—2 के नाम से दिनांक 20.02.2009 को जारी किया गया है, जबकि निगरानीकर्ता पिछले 56 वर्षो से उक्त भूखण्ड पर निवास कर रहा है। उक्त पट्टा विधि विरूद्व, प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत जारी किया गया है। जेर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व कोई भी कानूनी औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गई तथा ना ही आपत्ति दर्ज करवाने हेतु सूचना नोटिस / अखबार में जारी की गई। यदि निगरानीकर्ता को उक्त पट्टा के संबंध में सूचना होती तो वह अपनी आपत्ती जरूर

Signature Not Verified
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (गंगानगर)
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:38:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

दर्ज करवाता। प्रार्थी के पिता द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) कृषि भूमि आवंटन हेतु दिनांक 29.02.1968 को आवेदन किया गया उस समय भी निगरानीकर्ता के पिता गांव रंगमहल में विवादित पट्टे में दर्ज भूखण्ड पर निवास करते थे। आवंटन एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा निगरानीकर्ता के भाई के नाम से पत्र दिनांक 01.05.2007 जारी कर बीपीएल एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति को 75 प्रतिशत राशि में छूट की सूचना देते हुए निवास स्थान रंगमहल दर्ज किया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के नाम से जारी किया गया पट्टा केवल मात्र अनसुचित जाति/जन जाति, कारीगरो, लघु व सीमान्त कृषको आबादी भूमि/अ.भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड पपत्र है । जबकि पट्टा विद्यालय के नाम से जारी किया गया है, जिसकी कोई श्रेणी दर्ज नहीं है। पट्टा पर शर्त दर्ज है कि आवंटन के दो वर्ष के अन्दर निर्माण करना होगा, अन्यथा पट्टा भूखण्ड वापिस लेने का अधिकार होगा। जबकि भूखण्ड पर आज दिनांक तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जावे।

निगरानी दर्ज की जाकर गैरनिगरानीकर्तागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानीकता की और से अधिवक्ता श्री ताराचन्द कडवा उपस्थित हुए। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 को नोटिस तमील होने के उपरांत भी अनुपस्थित रहे। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मनचन्दा हाजिर आये। ग्राम पंचायत का संबंधित अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं निवेदन किया कि पत्रावली में दर्ज तथ्य एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात जो निगरानी के पक्ष में हो, वही मेरी बहस है।

वकील गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा जो पट्टा प्रस्तुत किया गया है वह आरजी काश्त का है और आरजी काश्त पर कृषि भूमि केवल एक वर्ष के लिए ही आवंटित की जाती थी। इसका लगातार नवीनीकरण होने और मौका पर कब्जा होने का कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जैर निगरानी में अंकित भूमि आबादी भूमि हैं जिसमें राजकीय विद्यालय में निर्धन, अनुसूचित जाति/जन जाति आदि के पढने वाले बच्चों के खलने हेतु खेल मेदौन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी भूखण्ड का आवंटन निःशुल्क किया गया है। यह भूमि कृषि ना होकर आबादी की भूमि है। निगरानीकर्ता का इस पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। निगरानीकर्ता ने जबरन इस भूमि पर काबिज होने का प्रयास किया गया था। जिसकी शिकायत प्रशासन से किये जाने पर पुलिस के सहयोग से मौके से कब्जा हटा दिय गया था। उक्त भूमि का आवंटन विधिवत रूप से राजकीय विद्यालय के खेल मैदान हेतु किया गया है। किसी तकनीकी त्रुटि के आधार पर आवंटन नियमानुसार निरस्त नहीं किया जा सकता। राजकीय विद्यालय की भूमि पर पूर्व में कभी भी निगरानीकर्ता का कब्जा नहीं रहा है। निगरानीकर्ता का ग्राम रंगमहल में आवास बना हुआ है जिसमें वह निवास करता आ रहा है, यह तथ्य भी न्यायालय से छुपाया गया है। इसके अतिरिक्त जिस आदेश की निगरानी पेश की गई है उसकी प्रमाणित प्रति भी पेश नहीं की गई है। जबकि रेवन्यू कोर्ट मेन्यूअल पार्ट--II के अनुसार नियमानुसार प्रमाणित प्रति पेश किये जाने का आज्ञात्मक प्रावधान है। जिसकी पालना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता को निगरानी करने का कतई अधिकार ही प्रदत्त नहीं है, क्योंकि आबादी भूमि में राजकीय विद्यालय का ही आवंटन की दिनांक से लेकर लगाातर कब्जा चला आ रहा है। इस भूमि में छोटे– छोटे बच्चों द्वारा खेल किडा के साथ साथ भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का अयोजन किया जाता रहा है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है क्योंकि ग्राम पंचायत की आम सभा की बैठक में दिनांक 20.09.2009 को प्रस्ताव पारित होने के पश्चात निःशुल्क राजकीय विद्यालय के नाम से पट्टा जारी किया हुआ है। निगरानीकर्ता पंचायत की आम सभा की बैठकों में भी उपस्थित होता रहता है। इस कारण से निगरानीकर्ता को जानकारी ना होने का तथ्य जानबूझ कर अनुतोष प्रापत करने की गरज से गलत अंकित किया गया है। राजकीय भूमि पर प्रतिकूल कब्जा का जो तथ्य धाराा 5 मियाद अधिनियम में प्रस्तुत किया गया है वह कतई गलत व विधि विरूद्व है। यदि इनका प्रतिकूल कब्जा होता तो सक्षम व्यवहार न्यायालय में चाराजोही की जाती

अतिरिक्त ... कलक्टर
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:38:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

है। जो कि इनके द्वारा नहीं की गई है। इस बात को स्वयं इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी गलत व विधि विरूद्व व मियाद बाहर पेश करने के कारण एवं राजकीय हित के मध्य नजर रखते हुए निरस्त फरमावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजता का गहनता से अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.02.2009 को जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है जबकि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी लगभग 13 वर्ष पश्चात दिनांक 11.07.2022 को पेश की गई है। धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र में भी देरी का कोई सन्तोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। जैर निगरानी भूखण्ड़ पर कब्जा के संबंध में भी निगरानीकर्ता द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। निगरानीकर्ता द्वारा टीसी आवंटन पट्टा दिनांक 07.07.1973 पेश किया गया है जो संवत 2030 के लिए आवंटन हुआ था। टीसी आज दिनांक तक नवीनीकृत होने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है तथा ना ही अधिकारों का किसी प्रकार कोई दस्तावेजात जो आज दिनांक तक प्रभावी हो पेश नहीं किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन पायी जाने से निरस्त की जाती है। निर्णय की प्रति सहित ग्राम पंचायत का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22 .10.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:38:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner